

को पेश हो।

रीडर

04.01.18

वकील अभ्यपक्ष उपरोक्त प्रकरण में तापैसला दावा विवादित भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु वकील अभ्यपक्ष सहमत हैं।

अतः अभ्यपक्षकारान को तापैसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित भूमि ख०जं० 817 रकबा 0.10 हे०, 821 रकबा 0.07 हे०, 822 रकबा 0.27 हे० ग्राम फुलवाड़ा के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

यत्रावली फैंसलशुमार होकर संख्या से कम हो एवं बाद तकमील अंशलग्न मूल वाद रहे।

(३)

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Handwritten signature and initials in the right margin.